ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 81-82**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

ग्रामीण भारत में गुटों की भूमिका

डॉ0 कुमारी सौरभ

ग्राम+पो0–बौंस बिगहा जिला–पटना (बिहार), भारत

Received-13.10.2024, Revised-20.10.2024, Accepted-13.10.2024 **E-mail : akbar786ali888@gmail.com**

सारांशः समाज कोई अखण्ड व्यवस्था नहीं है, अपितु वह अनेक इकाईयों मिलकर बनने वाली एक व्यवस्था व संगठन है। ये इकाइयाँ समाज में ही पाये जाने वाली विभिन्न समिति और संस्थायें होती है और उनमें एक अन्तःसम्बन्ध व अन्तनिर्भरता होती है। इसके फलस्वरूप समाज के विभिन्न समूह, समिति या संस्थायें एक समग्रता के रूप में या यूँ कहिये कि अनेक फूलों के एक गुलदस्ते के रूप में प्रगट होती है। पर कभी–कभी ऐसा भी होता है कि कुछ निश्चित सामाजिक आधार, जैसे जाति, सम्पत्ति, सत्ता आदि के आधार पर समाज के ये विभिन्न समूह एकदूसरे से पृथक प्रतीत होने लगते हैं और उनमें अपने पृथक् अस्तित्व के लिये आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती है, तो वैसे समाज को गुट समाज कहते हैं।

कुंजीभूत शब्द– ग्रामीण भारत, अखण्ड व्यवस्था, व्यवस्था, संगठन, समिति और संस्थायें, अन्तनिर्भरता, सामाजिक आधार

अंग्रेजी शब्द Faction का ही हिन्दी रूपान्तर 'गुट' है। साधारण बोलचाल में 'गुट' शब्द का प्रयोग उस समूह के लिये किया गया है, जिसके सदस्यों ने कुछ सामान्य स्वार्थों के आधार पर अपने को इस भाँति संगठित या दलबद्ध कर लिया है कि वे उन स्वार्थों की पूर्ति के रास्ते पर रूकावट डालने वालों का विरोध सफलतापूर्वक कर सकें। इसीलिये गुट शब्द से ही उस तनावपूर्ण सम्बन्ध का आभास होता है जो कि एक स्वार्थ समूह दूसरे समूहों से रखता है, परन्तु 'सामान्य स्वार्थ' और 'तनाव' का मतलब यह नहीं है कि एक गुट दूसरे गुट से सदा लड़ता–झगड़ता ही रहता है अथवा उनका पारस्परिक सम्बन्ध सदा द्वेष व घृणा से ही भरपूर होता है। ऐसा न कभी हो सकता है और दो गुट केव आयु अथवा जातीय स्थिति के आधार पर अपने पृथक अस्तित्व को बनाये रखने में सफल हो सकते हैं। इसीलिये श्री ढिल्लन ने लिखा है कि "यद्यपि दूसरे समूहों के प्रति शत्रुता गुटों का सामान्य गुण है और लड़ाई–झगड़ा के परिणामस्वरूप ही बहुधा नये गुट बनते हैं, फिर भी यह शत्रुता की भावना ही एकमात्र या प्रमुख कारक या शक्ति नहीं है, जो कि गुटों को एक साथ बांधे रहती है।"

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि गुट के स्थायित्व का सबसे प्रमुख कारक सामान्य स्वार्थ है, दूसरों से लड़ाई अथवा झगड़े नहीं। एक गुट के सदस्य सदैव ही कुछ सामान्य स्वार्थों द्वारा बंधें होते हैं और यह इच्छा करते हैं कि उन स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति हो। इसीलिये जो भी दल या समूह उन स्वार्थों की पूर्ति के रास्ते में रोड़ा बन जाता है, उसी को वह गुट अपने रास्ते से हटा देना चाहता है, चाहे उसके लिये उसे झगड़ा व विवाद को ही क्यों न मोल लेना पड़े। इस प्रकार सामान्य स्वार्थ गुट के स्थायित्व का एक प्रमुख कारक बन जाता है।

परन्तु सामान्य स्वार्थ के अलावा भी कुछ अन्य कारक या दशायें भी गुट के स्थायित्व के लिये आवश्यक होते हैं। श्री ऑस्कर लेविस ने उन दशाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया है–

1. एक गुट के सदस्यों में पर्याप्त एकता होना बहुत आवश्यक है, तॉकि वह एक इकाई के रूप में कार्य कर सके।
2. एक गुट में सदस्य संख्या इतनी अवश्य होनी चाहिये कि वह एक सामाजिक समूह के रूप में पूर्ण हो और कुछ सामाजिक क्रियाओं को स्वयं कर सके, बाहर से सहायता लेने की जरूरत न पड़े।
3. एक गुट के पास इतने पर्याप्त साधन होने चाहियें कि वह बिना दूसरों से सहायता लिये अपने अस्तित्व को बनाये रख सके। इस सम्बन्ध में आर्थिक साधन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसीलिये प्रत्येक गुट के पृष्ठ–पोषक या संरक्षक के रूप में कुछ मालदार या धनी परिवार अवश्य होने चाहियें जो कि गुट की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। कभी–कभी झगड़े–फसाद के फलस्वरूप उत्पन्न मुकदमें लम्बे खिंच सकते हैं, तो कभी गरीब सदस्यों को उधार देने की आवश्यकता हो सकती है। इन सब कामों के लिये गुट के पास आर्थिक साधन पर्याप्त होने चाहियें नहीं तो विरोधी गुट उसे दबा डालेगा और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।

अनेक विद्वान् गाँवों में गुट निर्माण के बढ़ते हुए प्रभाव से अत्यधिक चिंतित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण में गुटों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन का युग तथा नियोजन के अन्तर्गत गुटों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाना सरल हो जाता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में गुटों की भूमिका को निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है।

सामुदायिक विकास योजना की सफलता को आज ग्रामीण विकास की एक अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है। आज सामुदायिक विकास योजना के सामने सबसे बड़ी बाधा इसमें ग्रामीण जन सहभाग का अभाव होना तथा योजना को प्रत्येक ग्राम तक पहुँचाने में कठिनाइयों का होना है। अनेक अध्ययनों के द्वारा अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ग्रामीण समुदाय में विकास कार्यक्रमों का उचित संप्रेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण समुदाय में ही स्थानीय नेतृत्व को विकसित किया जाय। यह देखा गया है कि गाँवों में प्रत्येक ग्रामीण गुट का एक नेता होता है, जिसके प्रगतिशील नेतृत्व में ही गुट संगठित रूप से कार्य करता है। एक गुट के सभी सदस्य नेता को अपना आदर्श मानते हैं तथा उसके आदेशों और सुझावों का पालन करना अपना नैतिक दायित्व समझते हैं। इस स्थिति में ग्रामीण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को यदि प्रत्येक गुट के नेता तक पहुँचा दिया जाय तो इनका प्रसार सरलता से सभी ग्रामीणों में हो सकता है। यही कारण है कि जनपद एवं खण्ड स्तर के अधिकारी किसी भी कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सर्वप्रथम ग्रामीण गुटों के नेताओं से ही सम्पर्क स्थापित करते है। इसका तात्पर्य है कि गुट के नेता संचार की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण माध्यम है। गुट के नेता द्वारा यदि कार्यक्रम को उपयोगी समझा जाता है, तो इसे अन्य सदस्यों द्वारा शीघ्र ही ग्रहण कर लिया जाता है। सच तो यह है कि यदि किसी कार्यक्रम को ग्रामीणों द्वारा मानसिक रूप से भी स्वीकार कर लिया जाय तो, कार्यक्रम के सफल होने की काफी सम्भावना हो जाती है। गुट के नेता किसी विशेष कार्यक्रम को ग्रामीणों तक पहुँचाने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि उसे जन सामान्य द्वारा ग्रहण करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुट के नेता सामान्य ग्रामीणों की अपेक्षा अधिक

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

शिक्षित, प्रतिष्ठित और जोखिम उठाने वाले होते हैं। इस प्रकार ग्रामीण गुटों के नेताओं की सहायता से विकास योजनाओं का प्रसार करना एवं उन्हें प्रभावपूर्ण बनाना मितव्यवी होने के साथ–साथ सुविधाजनक भी होता है।

ग्रामों के विकास से सम्बन्धित अनेक योजनाएँ ऐसी भी होती हैं, जिनके लिए सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती। ऐसी योजनाएँ प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों के श्रम पर ही निर्भर होती है। उदाहरण के लिए गाँवों में कुओं और तालाबों का निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण से सम्बन्धित प्रयत्न तथा संक्रामक रोगों की रोक–थाम इत्यादि इसी प्रकार के सार्वजनिक कल्याण से जुड़े हुए कार्य हैं। ऐसे कार्यों में ग्रामीण गुटों की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। सरकारी अथवा गैर सरकारी माध्यमों से यदि एक गुट को विकास कार्य अथवा सुधार कार्य के लिए तैयार कर लिया जाता है तो अन्य गुटों में भी एक दूसरे से आगे बढ़कर उस कार्य में सहयोग देने के लिए प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो जाती है। लेविस ने अपने अध्ययन में यह पाया कि रामपुरा गाँव में तालाबों की सफाई इस कारण सम्भव हो पाती है कि इस कार्य के लिए विभिन्न गुटों के बीच सदैव एक प्रतिस्पर्द्धा बनी रहती है। कल्याण कार्यों के क्षेत्र में ग्रामीण गुट इस कारण एक दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी हो जाते हैं कि वे ग्रामीणों की अधिक से अधिक सहानुभूति प्राप्त कर सकें तथा अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर सकें।

भारत की वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ग्रामीण गुटों का अपना एक विशेष महत्व है। इन गुटों के माध्यम से ही विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों तथा चिंतन का सामान्य ग्रामीणों में प्रसार होता है तथा गुटों के माध्यम से ही ग्रामीण चुनाव और मताधिकार के प्रारम्भिक सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त करते हैं। गाँवों में प्रत्येक गुट पंचायतों के चुनाव में अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक ऐसे कार्य करता है, जो ग्रामीणों के कल्याण में बहुत सहायक होते हैं। अनेक गुट इसलिए विकास योजनाओं में सक्रिय सहभाग देते हैं, जिससे वे ग्रामीणों की सहानुभूति प्राप्त कर सकें और चुनाव के समय उनका अधिकतम समर्थन प्राप्त कर सकें। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीणों को जनतांत्रिक व्यवस्था में सहभाग के लिए प्रेरित करने तथा विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं के प्रसार में सहायता देने के क्षेत्र में ग्रामीण गुटों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है।

उपयुक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण गुट सदैव संघर्ष और हिंसा का ही कारण नहीं होते बल्कि अनेक क्षेत्रों में इनकी भूमिका रचनात्मक भी होती है। इसके पश्चात् भी वास्तविकता यह है कि आज ग्रामीण गुट रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा ग्रामीण तनावों तथा ग्रामीण संघर्षों के लिए अधिक उत्तरदायी हैं। इनके कारण न केवल ग्रामीण एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है कि बल्कि जातीय तनावों ने भी गम्भीर रूप धारण कर लिया है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण गुटों के निर्माण में जाति आज भी सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण गुट अन्तर्जातीय सम्बन्धों के स्थान पर जातिगत संघर्षों में निरन्तर वृद्धि कर रहे हैं। विभिन्न राजनैतिक दलों की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्तियों के कारण जैसे–जैसे गुटों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, परम्परागत भारतीय ग्राम आत्मनिर्भरता की विशेषता से हट कर एक दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित होते जा रहे हैं। यह गुट समाज का दुष्क्रियात्मक पक्ष है, जिसमें सुधार किए बिना ग्रामीण जीवन को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. R. FirTh, (1957) : "Introduction to Faction in Indian and overseas Indian societies, British Journals of sociology. "
2. Oscar Lewis : village life in Nothern India.
3. Pocock : The Basis of Factons in Bufarat, British Journal of sociology.
4. K. N. Venkatarayappa : Rural society and social change.
5. D. Dhillon : Leadership and groups in a south Indian village.
6. Oscar Lewis : Village Lice in Nothern India : Studies in a Delhi village.

*****